देवीकुंड सागर का जीर्णोद्धार कर रास्ते से अतिक्रमण हटा पानी लायेंगे : रावत

बीकानेर, (कासं)। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने 05 से 20 जून तक चलने वाले वंदे गंगा, जल संरक्षण जन अभियान से पहले मंगलवार शाम को रिडमलसर में देवीकुंड सागर का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि देवीकुंड सागर का जीर्णोद्धार किया जायेगा। रास्ते के अतिक्रमणों को ध्वस्त किया जायेगा ताकि देवीकुंड सागर में वर्षा जल की आवक पहले जैसे हो सके।

रावत ने कहा कि अगर अतिक्रमणों को हटाने के बाद भी वर्षा जल की आवक देवीकुंड सागर में नहीं हुई तो इंदिरा गांधी नहर के जरिए इस ऐतिहासिक सागर को पानी से भरा जायेगा। रावत को बीडीए कमिश्नर अपर्णा गुप्ता ने बजट घोषणा 2025-26 के अंतर्गत सागर तालाब के पास 40 करोड़ की लागत से 138 बीघा जमीन में बनने वाली कबीर वाटिका के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

इस दौरान रावत ने देवीकुंड सागर परिसर में बने मंदिरों के दर्शन किए। इस दौरान खाजूवाला विधायक डॉ विश्वनाथ मेघवाल, बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास, श्रीडूंगरगढ़ विधायक ताराचंद सारस्वत, सुमन छाजेड, श्याम पंचारिया, बीडीए कमिश्नर अपर्णा गुप्ता, जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर राकेश कुमार, अतिरिक्त चीफ इंजीनियर मनोज मांझू, भूपेन्द्र सिंह यादव, एसई सुनील कटारिया, बीडीए अधिशासी अभियन्ता राकेश बैरवा समेत अन्य अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने वंदे गंगा, जल संरक्षण जन अभियान से पहले मंगलवार शाम को रिडमलसर में देवीकुंड सागर का जायजा लिया।

- अतिक्रमण हटाने के बाद भी पानी नहीं आया तो आईजीएनपी से भरेंगे देवीकुंड सागर तालाब
- जल संसाधन मंत्री ने देवीकुंड सागर का लिया जायजा

जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के बीकानेर आगमन पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक भंवरलाल पुरोहित के नेतृत्व में सर्किट हाउस में कर्मचारियें द्वारा मंत्री का स्वागत सत्कार एवं सम्मान किया गया।

संमिति के संयोजक भंवर लाल पुरोहित एवं मजदूर नेता लेखराज सारण द्वारा मंत्री सुरेश सिंह रावत को साफा पहनाकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना के स्वर्ण जयंती पर प्रकाशित पुस्तिका मरू गंगा भेंट करते हुए नहर निर्माण में मजदूर/कर्मचारी एवं अभियंताओं की भूमिका से अवगत कराया गया तथा वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में इंदिरा गांधी नहर के निर्माण एवं विकास के कार्यों की प्रशंसा करते हुए तथा राज्य के बजट में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के निर्माण, रखरखाव एवं संचालन के लिए पर्याप्त बजट आवंटित करने पर मुख्यमंत्री एवं जल संसाधन मंत्री को धन्यवाद दिया।

पुरोहित ने मंत्रालयिक संवर्ग में संस्थापन अधिकारी के ग्रेड पे बढ़ोतरी के लिए भी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए संस्थापन अधिकारी से उच्च पद वरिष्ठ संस्थापन अधिकारी का पद सृजित करने का निवेदन किया गया। पुरोहित ने ई फाइल व्यवस्था में सुचारू रूप से राजकार्य के संचालन हेतु ई फाइल व्यवस्था हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने की मांग की गई जिसे त्वरित गति से राज कार्य का संचालन हो सके। समिति के अध्यक्ष हितेश अजवानी, महामंत्री गुरूविन्द्र सिंह, संयज स्वामी, सविता पुरोहित, अशोक रंगा, जेठमल सोलंकी ने मंत्री का माल्यार्पण कर शॉल ओढाकर स्वागत सत्कार किया तथा वर्तमान सरकार द्वारा जल संरक्षण किये जा रहे कार्यों के लिए आभार व्यक्त किया गया। संघर्ष समिति के भंवरलाल शर्मा, बसन्त हजरती, प्रदीप गहलोत, राजेन्द्र चौहान, रघुवीर सिंह, टिंकेश शर्मा, प्रमोद दीवान, सुनील सिह, मोहित खोईया, राजूपाल, अमजद खान आदि ने भी मंत्री का माल्यार्पण कर स्वागत सत्कार किया।

दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा

बीकानेर,(कासं)। महिला उत्पीड़न न्यायालय ने सात साल पुराने एक मामले में दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा सुनाई है। साथ ही 18 हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मामला नोखा थाने में अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुआ था, जिसे पुलिस ने न सिर्फ पकड़ा बल्कि सजा भी दिलाई।

पीड़िता के पति ने नोखा थाने में शिकायत दी थी कि अज्ञात व्यक्ति उसकी पत्नी को अश्लील संदेश भेज रहा था। बाद में जान से मारने की धमकियां देने लगा। जांच में ये भी पता चला कि बाद में आरोपी ढाणी में घुस गया और पिस्तौल के दम पर दुष्कर्म किया। पुलिस ने जांच के दौरान ही आईपीसी की धारा 376 जोड़कर मामला दर्ज किया।

इस मामले में आरोपी उत्तरप्रदेश निवासी उपेंद्र सिंह उर्फ विपिन सिंह है। पुलिस की रिपोर्ट और साक्ष्य के आधार पर उपेंद्र सिंह पर दुष्कर्म का आरोप साबित हो गया। उसे दुष्कर्म करने पर दस साल की सजा सुनाई गई। वहीं आईपीसी की धारा 450 पर सात साल की सजा और पांच हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है।

आईपीसी धारा 506 पर दो साल की सजा और दो हजार रूपए जुर्माना और धारा 504 पर तीन वर्ष सजा और दो हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है। ऐसे में उसे दस साल का कारावास और 18 हजार रूपए जुर्माना देना होगा।

सार-समाचार

गौरेया के लिए घरौंदे वितरित

योग एवं खेलकूद संस्कार शिविर में गौरेया चिड़िया को बचाने के लिए मिट्टी से बने घरौंदे वितरित किये।

बीकानेर, (कासं)। पंतजलि योग समिति युवा भारत के तत्वावधान में एम.एम. ग्राउंड बीकानेर में चल रहे नि:शुल्क योग एवं खेलकूद संस्कार शिविर में आज एक विशेष आयोजन के अंतर्गत बच्चों को मिट्टी से बने सुंदर पक्षी घरौंदे वितरित किए गए। ये घरौंदे विशेष रूप से गौरेया चिड़िया जैसे छोटे पक्षियों के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से परमार्थ सेवा समिति द्वारा शिविर में वितरित किए गए। गौरेया जो कभी हर आंगन की पहचान हुआ करती थी। आज के समय में विलुप्ति के संकट का सामना कर रही है। इस अवसर पर परमार्थ सेवा समिति से जुड़े अविनाश व्यास ने बच्चों को गौरेया की महत्ता, उसके जीवन चक्र, संरक्षण के उपायों तथा पर्यावरण के प्रति मानवीय जिम्मेदारियों के विषय में विस्तार से जानकारी दी। शिविर संयोजक नंदकिशोर गहलोत ने परमार्थ सेवा समिति और विशेष रूप से अविनाश व्यास का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के प्रयास न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, बल्कि बच्चों में सेवा, संवेदनशीलता एवं जागरूकता का भाव भी विकसित करते हैं। इस आयोजन में शिविर संयोजक नन्दकिशोर गहलोत, विजय किराडू, विकास जोशी, भवानीशंकर सांखला, बहन गुड्डी देवी, जयश्री रंगा, ऋतु जोशी, नवल सोलंकी, कैलाश स्वामी, लक्ष्मणाराम प्रजापत, मीनाक्षी टाक, नवरतन स्वामी, भारत स्वाभिमान के राज्य प्रभारी अरविंद पांडे, हितेंद्र मारू, सी डी सागर, शुभम स्वामी, अविनाश स्वामी, हेमलता, करिश्मा, गौरी जोशी, दिप्ती दैया, साक्षी किराडू, तुलसी, शोभा सहित अनेक सेवाभावी कार्यकर्ता सक्रिय रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा बच्चों को घरौंदों को अपने घरों में लगाने की विधि जैसे सही स्थान का चयन, साफ-सफाई बनाए रखना, और देखभाल के विषय में व्यावहारिक जानकारी भी दी गई ताकि ये घरौंदे वास्तव में पक्षियों के लिए सुरक्षित साबित हो सकें।

यादें बिनाका गीत माला की

यादें बिनाका गीत माला में बीकानेर के कलाकारों ने अमीन सयानी को याद किया।

बीकानेर, (कासं)। अमन कला केन्द्र द्वारा मंगलवार को टाउन हॉल में हिन्दी सिनेमा के महान शो मैन राजकपूर की पुण्यतिथि गीतकार राजेंद्र कृष्ण एनाउंसर अमीन सयानी की स्मृति में कार्यक्रम यादें बिनाका गीत माला की आयोजित किया गया। संस्था के अध्यक्ष एम. रफीक कादरी ने बताया कि मुख्य अतिथि एन. डी. रंगा अध्यक्ष सखा संगम व शशि चुग रीजनल सचिव महिला एवं बाल विकास भारत विकास परिषद मीरा शाखा बीकानेर थी। अध्यक्षता सुमन छाजेड अध्यक्ष शहर बीजेपी व एस डी नागल ने की। विशिष्ट अतिथि डॉ प्रवीण चतुर्वेदी, दिनेश कुमार मोदी, डॉ हिमांशु दाधीच, डॉ दिनेश शर्मा, डॉ हरमीत सिंह नशा मुक्ति पुनर्वास विषेश ड्रग नशा मुक्ति पुनर्वास अस्पताल रानी बाजार मो. सदीक चौहान, सैय्यद अख्तर, अली समुद्र सिंह राठौड़, शिवलाल तेजी, संजीव ऐरन, एम. आर. कुकरेजा थे। अनवर अजमेरी ने बताया कि कार्यक्रम में बीकानेर के जाने-माने गायक कलाकार सिराजुदीन खोखर, एम. रफीक कादरी, ख्वाजा हसन कादरी, अशोक सोनी जसमतिया, गोपिका सोनी, दीपमाला, डॉ तपस्या चतुर्वेदी, कैलाश खरखोदिया, डॉ रेशमा वर्मा, एस डी नागल, राजेश अरोड़ा, दीपक खत्री, प्रदीप खत्री, संजीव ऐरन, राजेंद्र बोथरा, दिनेश दिवाकर, अपूर्वा ऐरन, एम. आर. कुकरेजा, समुद्र सिंह राठौड़, आदि मौजूद थे।

लूणकरनसर में बारिश से मकान की छत गिरी, बच्ची घायल

बीकानेर, (कासं)। बारिश ने मौसम को सुहावना कर दिया है। इस बीच लूणकरनसर में बारिश से एक मकान की छत गिर गई, जिससे एक सात महीने की बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे अस्पताल पहुंचाया गया है।

- हादसे के समय घर के अंदर एक सात माह की बच्ची सो रही थी, जिसके चोट आई

दो दिन पहले तक तेज गर्मी के कारण बीकानेर का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा था लेकिन अब पारा गिरकर चालीस डिग्री सेल्सियस से नीचे आ रहा है। सोमवार की शाम और देर रात हुई बारिश ने बीकानेर को गर्मी से एक बार राहत दी है। तापमान में बढ़ोतरी का सिलसिला फिलहाल थमता नजर आ रहा है। लूणकरनसर के चक 282 आरडी में सुबह एक मकान की छत अचानक गिर गई। हादसे के समय घर के अंदर एक बच्ची सो रही थी, जिसके चोट आई है। छत गिरने से घर का सारा सामान मलबे के नीचे दब गया है। स्थानीय लोगों की मदद से बच्ची को बाहर निकाला गया। परिवार के अन्य सदस्य उस समय घर के बाहर थे, इसलिए वे सुरक्षित बच गए। घटना की सूचना मिलते ही हल्का पटवारी मौके पर पहुंची और मौका रिपोर्ट तैयार कर तहसीलदार को सौंपी। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मदद और मुआवजे की मांग की है।

कस्बे के चक 282 आर.डी. में लूणकरनसर निवासी हरूनाथ हिस्से पर खेती करते हैं। वे अपने परिवार के साथ खेत में बने कच्चे मकान में रहते हैं। सुबह हुई बारिश के बाद अचानक छत गिर गई। उन्होंने बताया कि सात माह की पौती उस समय घर के अंदर सोई हुई थी। जबकि वे और अन्य परिजन घर के बाहर अपने-अपने काम में लगे हुए थे। अचानक छत तेज आवाज के साथ ढह गई और पूरा मलबा नीचे गिर गया। छत गिरते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और मलबा हटाकर बच्ची को बाहर निकाला। बच्ची के चोट आई है लेकिन बाकी सभी सदस्य सुरक्षित हैं। घर के अंदर रखा बैड, अलमारी, कुर्सियां, ड्रेसिंग टेबल, कपड़े, बिस्तर, अनाज, इनवेटर, टीवी सहित अन्य सामान सब मलबे में दब गया है। घायल बच्ची को तुरंत लूणकरनसर अस्पताल पहुंचाया जहां उपचार चल रहा है। हरूनाथ ने बताया कि वह हिस्से पर खेत लेकर काश्त करता है और उसी से परिवार का पालन-पोषण करता है। छत गिरने से रहने के लिए जगह भी नहीं बची।

पिकअप की टक्कर में बाइक सवार की मौत

श्रीगंगानगर, (कासं)। हनुमानगढ़ रोड पर गांव मम्मड़खेड़ा से आगे एक मोड़ पर बाइक और पिकअप की आमने-सामने की भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई।

घटना अपरान्ह 3 बजे की है। जानकारी के अनुसार रामनिवास (33) पुत्र शिवचंद जाट निवासी मम्मड़खेड़ा अपनी बाइक से श्रीगंगानगर से अपने गांव की तरफ आ रहा था। इस दौरान हनुमानगढ़ की तरफ से तेज गति से आ रही पिकअप में एक मोड़ पर भिड़ंत हो गई। इससे रामनिवास सड़क पर गिरा और उसकी मौत हो गई। उसे लालगढ़ जाटान के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पिकअप सवार पिकअप छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर लालगढ़ जाटान थाना के हैड कांस्टेबल धर्मवीर कस्वां मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना किया।

पीबीएम में कोरोना जांच किट की किल्लत

बीकानेर, (कासं)। पीबीएम हॉस्पिटल में कोरोना की जांच किट की किल्लत हो गई है। एक सप्ताह से नई किट की सप्लाई नहीं आई है। इसकी वजह से सर्दी, जुकाम, बुखार के मरीजों की जांच भी कम कराई जा रही है।

- ओपीडी में जुकाम-बुखार के मरीज 900 पार, कोरोना जांच किट नहीं

कोरोना की जांच एसपी मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी लैब में होती है, जहां एक ही किट उपलब्ध है। जिसमें 96 स्लॉट बुक हो सकते हैं। अब तक 26 स्लॉट बुक हो चुके हैं। तीन-चार दिन के करीब 20 सैंपल रखे हुए हैं। उनमें ओपीडी के आठ-नौ मरीजों के सैम्पल हैं। सभी को एक साथ लगाया जाना है। किट की समस्या को देखते हुए केवल इमरजेंसी वाले मरीजों की ही जांच कराई जा रही है।

पीबीएम हॉस्पिटल प्रशासन ने दो लाख रूपए की नई किट मंगवाने के लिए फार्मा कंपनी को ऑर्डर दे रखा है। वहां से सप्लाई का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि पूरे प्रदेश में ही कोरोना की जांच के लिए किट की समस्या चल रही है। सरकारी सप्लाई में किट ही उपलब्ध नहीं है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ओपीडी में आने वाले सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी के हर मरीज की कोरोना जांच कराई जाए तो दो-तीन पॉजिटिव केस का आना सामान्य बात है। किट की कमी के चलते कोरोना की नियमित जांच ही शुरू नहीं हो पा रही है। सोमवार को मेडिसिन विभाग की प्रथम यूनिट की ओपीडी थी, जिसके हैड डॉ. वी.बी. सिंह का कहना है कि मरीजों की संख्या 900 के पार हो गई। इस सीजन में बुखार, खांसी के साथ दस्त के मरीज अधिक आए।

गंदे पानी की सब्जियों के खिलाफ मोर्चा खोला

बीकानेर, (कासं)। यहां सुदर्शना नगर क्षेत्र में विवादित भूमि पर अवैध रूप से सब्जियों की खेती करने और खेती में गंदे नाली के पानी का उपयोग होने के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। महिलाएं गंदी पानी में उगी सब्जियों को लेकर आज कलेक्ट्रेट पहुंची और जमकर नारेबाजी की। उनका दावा था कि इन सब्जियों में बीमारी के कीटाणु है, जिनकी जांच होनी चाहिए।

- गंदे पानी से उगी सब्जियां लेकर कलेक्ट्रेट पहुंची महिलाएं
- ये सब्जियां बाजार में बिकती है, इन्हें लोग खाकर बीमार हो रहे हैं

नाल समस्या समाधान संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले पहुंची महिलाओं ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। महिलाओं का आरोप है कि गंदे पानी में उगी सब्जियां खुले बाजार में बिकती है। इन्हें उगाने के लिए शहर भर के खुले और गंदे नाले के पानी का उपयोग किया जा रहा है। इस सब्जी को खाने से बड़ी संख्या में लोग बीमार हो रहे हैं।

सीवरेज का गंदा पानी सब्जी उगाने के काम आ रहा है, जिसमें न सिर्फ खतरनाक रसायन है बल्कि मृत जानवर भी इस नाले में तैरते रहते हैं। इसी पानी से सिंचाई करके सब्जियां उगाई जा रही है। इन सब्जियों को बाजार और मंडी में बेचा जाता है, जिनके खाने से लोगों के बीमार होने की आशंका बनी रहती है। संघर्ष समिति ने संपर्क पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करवाई है।

उपचुनाव वाले क्षेत्र में सूखा दिवस घोषित

बीकानेर, (कासं)। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव के मद्देनजर संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में तथा उनके पांच किमी परिधीय क्षेत्र में 6 जून को सायं 5 बजे से 8 जून को सायं 5 बजे तक व जहां पंच एवं सरपंच के चुनाव होने हैं वहां मतदान 8 जून को मतगणना समाप्ति तक सूखा दिवस घोषित किया गया है।

प्रभारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) रमेश देव ने आदेश जारी कर संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में सूखा दिवस की पालना सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं। जिले की लूणकरनसर पंचायत समिति में कालू, बडेरन (पंच वार्ड संख्या 1 और 5), हंसेरा, कोलायत पंचायत समिति के माणेका गांव, रावनेरी, चक बंधा नं.1 सांखला बस्ती, चाण्डासर एवं पूगल में भुट्टों का कुआ पंचायत में 8 जून रविवार को उपचुनाव होंगे।

जोड़बीड़ में बीडीए लॉटरी से अलॉट करेगा 1600 प्लॉट

बीकानेर, (कासं)। विकास प्राधिकरण ने जोड़बीड़ आवासीय योजना में लॉटरी से 1600 प्लॉट बेचने का निर्णय किया है लेकिन इसमें शर्त लगा दी गई है कि बारह लाख रूपए सालाना आय करने वाले ही इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। ऐसे में आम आदमी को इस कॉलोनी में प्लॉट नहीं मिल सकेगा। वहीं सिर्फ निवेश की दृष्टि से ही प्लॉट आवंटन हो सकता है। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने इस आवासीय योजना की बुकलेट जारी की।

- छोटे प्लॉटस के लिए 12 लाख और बड़े के लिए 18 लाख रुपए वार्षिक आय जरूरी
- भूखंडों के लिए आवेदन 25 जून तक कर सकेंगे

जोड़बीड़ आवासीय योजना के 1600 भूखंडों का लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जायेगा। भूखंडों के लिए आवेदन 2 जून से लेकर 25 जून तक किए जा सकेंगे। जयपुर जोधपुर बाईपास पर उष्ट्र अनुसंधान केन्द्र के समीप स्थित इस आवासीय योजना के आवेदन पत्र बीकानेर विकास प्राधिकरण कार्यालय और आईसीआईसीआई बैंक की समस्त शाखाओं में उपलब्ध रहेंगे। साथ ही बीडीए की वेबसाइट से भी इसे डाउनलोड किया जा सकता है। फॉर्म प्राधिकरण कार्यालय में निर्धारित तिथि तक ऑफलाइन जमा करवाए जा सकेंगे। इस दौरान बीकानेर विकास प्राधिकरण आयुक्त अपर्णा गुप्ता, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोहनलाल, प्रशिक्षु आईएएस स्वाति शर्मा, निदेशक (आयोजना) पुनीत शर्मा, निदेशक (वित्त) नरेश राजपुरोहित, उप नगर नियोजक गरिमा चारण सहित आइसीआईसीआई बैंक के प्रतिनिधि और अन्य अधिकारी मौजूद थे।

इस आवासीय योजना में प्लॉट लेने के लिए कम से कम बारह लाख रूपए की आय जरूरी है। इससे कम आय वाले यहां आवेदन ही नहीं कर सकेंगे। 120 वर्ग मीटर से 220 वर्ग मीटर प्लॉट के लिए बारह लाख से अधिक आय जरूरी है। जबकि 220 वर्ग मीटर से ज्यादा आकार वाले प्लॉट के लिए 18 लाख रूपए से अधिक आय की जरूरत है।

450 ग्राम गांजा बरामद

घड़साना, (कासं)। पुलिस ने गश्त के दौरान नशे के खिलाफ कार्रवाई में एक युवक को गिरफ्तार किया है। घड़साना एसएचओ महावीर प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस टीम गश्त पर थी। पुलिस कार्रवाई टीम में कांस्टेबल रामकिशन, राजेश, प्रेमकुमार और नरसीराम शामिल थे।

नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह

अल अदालत उपखण्ड अधिकारी राजस्व मुकाम श्रीगंगानगर राम कुमार बनाम तनसुखराम आदि मुकदमा नं. 59 सन 2024 बाबत रास्ता स्वीकृति बाबत बनाम (1) तनसुखराम पुत्र श्री लिखमा राम निवासी 4 एम एल, श्रीगंगानगर। (2) चानण राम पुत्र श्री लिखमा राम निवासी 4 एम एल, श्रीगंगानगर। (3) धर्मपाल पुत्र श्री रूपाराम निवासी 4 एम एल, श्रीगंगानगर। कोम कुम्हार साकिन 4 एम एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर क्योंकि प्रार्थी ने अदालत में दरख्वास्त दी है कि क्यो न रास्ता स्वीकृत कर दिया जावें। लिहाजा इतेलाह दी जाती है कि तारीख 13 माह 6 सन् 2025 बरोज 10.00 बार 10.00 बजे दिन के अदालत हाजा आसालतन या वकालतन हाजिर होकर दरख्वास्त के खिलाफ वजह जाहिर करो वर्ना दरख्वास्त मन्जूर एकातरफा सुनी व अमल में लाई जायेगी। वसब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत में आज तारीख 224/2-6-2025 जारी किया। मुद्रा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

हिट एंड रन दुर्घटना के मामलों में पीड़ितों को मुआवजा दिलाने में मदद करें : मांडवी

बीकानेर, (कासं)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मांडवी राजवी की अध्यक्षता में मंगलवार को हिट-एंड-रन दुर्घटनाओं के प्रकरणों में पीड़ितों को मुआवजा दिलाने व इसकी मॉनिटरिंग के लिए गठित निगरानी समिति की बैठक का आयोजन किया गया।

सचिव ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के आदेशानुसार हिट-एंड-रन मोटर दुर्घटना के मामलों में त्वरित सहायता के लिए मुआवजा देने, केन्द्र सरकार की लागू योजना की प्रगति के मूल्यांकन तथा प्राप्त आवेदनों से संबंधित कार्यवाहियों सहित अन्य बिन्दुओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को प्रतिकर हेतु आवेदनों का त्वरित निस्तारण करके पूर्ण मुआवजे देकर आयुक्त को प्रेषित करने के निर्देश दिए।

साथ ही उन्होंने जिले के प्रत्येक

हिट एंड रन दुर्घटनाओं के लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव मांडवी राजवी ने संबोधित किया।

थानाअधिकारी को हिट एंड रन दुर्घटनाओं में पीडितों से प्रतिकर हेतु आवेदनों को अविलम्ब संबंधित दावा जांच अधिकारियों को भिजवाने के निर्देश।

सचिव ने बताया कि हिट एंड रन दुर्घटना प्रकरणों में केन्द्र सरकार द्वारा जारी योजना के तहत घायलों को 50 हजार रूपए एवं मृतक के आश्रितों को 2 लाख रूपए बतौर प्रतिकर प्रदान किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि दुर्घटना के पीड़ित घटना क्षेत्र के पुलिस थाना तथा उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय में प्रतिकर हेतु आवेदन कर सकते हैं। प्रतिकर के लिए आवेदन पत्र पुलिस थानों व ऑनलाइन उपलब्ध है।

- हिट एंड रन दुर्घटनाओं के लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक आयोजित

इस दौरान पुलिस विभाग एवं दावा जांच अधिकारियों ने वर्ष 2023 से मई के मध्य घटित हुई हिट एंड रन दुर्घटना के मामलों में पीड़ितों को मिलने वाले मुआवजे के लिए प्राप्त आवेदनों व कार्यवाहियों के संबंध में वस्तुस्थिति रिपोर्ट की जानकारी दी।

गंगनहर में डूबने से दो की मौत

श्रीगंगानगर, (कासं)। साधुवाली के पास गंगनहर में नहाने गए दो युवकों की डूबने से मौत हो गई।

मृतक विकास पुत्र त्रिलोकी नाथ निवासी वार्ड एक, करणपुर रोड और अरविंद उर्फ सोनू पुत्र सुदेश निवासी देवनगर की डूबने से मौत हुई। विकास की उम्र 28 वर्ष व अरविंद की करीब 32 वर्ष बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार मृतक अरविंद की बहन की रात को ही शादी हुई थी। सोमवार को विदाई के बाद दोपहर को वह दोस्तों के साथ निकला था। शाम करीब 5:45 बजे अरविंद और उसके दोस्त विकास के डूबने की खबर आई। जानकारी के अनुसार विकास और अरविंद पड़ौस में रहने वाले एक अन्य युवक रवि के साथ सोमवार दोपहर को गंगनहर में नहाने के लिए गए थे। वे काफी देर तक नहर में नहाते रहे। इसी दौरान विकास भंवर में फंस गया और फिर दुर्घटना हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विकास नहर में छलांग लगाकर पास के एक मोघे से निकल रहा था। वह नहर में पांचवी बार छलांग में फंस गया।

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- SECYUIT.SGNR@RAJASTHAN.GOV.IN Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियमन/2025/ **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 27.5.2025

श्री सुरेश सेतिया पुत्र श्री रामदयाल सेतिया एवं श्री अश्वनी कुमार सेतिया पुत्र श्री केवल कृष्ण सेतिया निवासी श्रीगंगानगर द्वारा नीचे वर्णित भूमि में से अपने अधिकार को पंजीकृत बेयनामा दिनांक 07.05.2025 के द्वारा क्रय कर आवासीय प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग के लिए संपूर्ण स्वामित्व पटटा अधिकार प्राप्त करने के लिए न्यास के पक्ष में अभ्यर्पित कर दिये है।

जिले सहित नगर का नाम	पट्टे का विवरण	भूमि का विवरण	आवेदित भूमि का क्षेत्रफल
श्रीगंगानगर	पट्टा सं. 1056 दिनांक 01.11.1990 को श्री दिनेश कुमार उपाध्याय पुत्र श्री रामचन्द्र उपाध्याय के नाम से भू-रूपांतरण विभाग, श्रीगंगानगर द्वारा जारी किया हुआ है।	चक 3 ई छोटी मुरब्बा नं. 17 के किला नं. 17 में भूखंड संख्या 54 माप 283.33 वर्गगज	आवेदित माप 283.33 वर्गगज

इसलिए इसके द्वारा समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के पास राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 60 सी के अधीन पूर्ण स्वामित्व पटटा अधिकार अभिप्राप्त करने के लिए न्यास के पक्ष में आवेदक द्वारा भूमि में के अधिकार अभ्यर्पण करने के अनुज्ञा की मंजूरी के सम्बन्ध में कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के सात दिवस के भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी व्यक्ति को कोई आक्षेप नहीं है और मामले का तद्नुसार निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज जारी की गयी। Rajkaj Ref. No. 15533550 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- SECYUIT.SGNR@RAJASTHAN.GOV.IN Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियमन/2025/4021 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 27.5.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री दविन्द्र कुमार पुत्र श्री दलीप कुमार निवासी नजदीक विष्णु राईस मिल, अबोहर रोड़, फाजिल्का के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित आवासीय भूखंड का न्यास रिकार्ड में नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखंड के सम्बन्ध में न्यास रिकार्ड एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की स्थिति निम्नानुसार है :-

न्यास रिकार्ड के अनुसार भूखंड का विवरण		आवेदक के द्वारा भूखंड के नामांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण
भूखण्ड का विवरण	मूल भूखण्डधारी	दस्तावेज का विवरण
चक 1 एफ छोटी मुरब्बा नं. 56 के किला नं. 23 में भू.सं. आई-06, श्रीनाथ होम्स, श्रीगंगानगर	पट्टा सं. 16363 दिनांक 31.08.2022 को श्री गुरदीप सिंह चौपड़ा पुत्र श्री नत्था सिंह चौपड़ा के नाम से जारी किया हुआ है।	श्री दविन्द्र कुमार द्वारा पंजीकृत उपहार पत्र दिनांक 21.08.2024 की प्रति प्रस्तुत कर उक्त भूखंड के नामान्तरण हेतु न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया है।

इस प्रकार उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार दस्तावेजों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर नामान्तरण चाहा गया है इस संबंध में श्री दविन्द्र कुमार पुत्र श्री दलीप कुमार निवासी नजदीक विष्णु राईस मिल, अबोहर रोड़, फाजिल्का द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के संबंध में कोई आपत्ति है तो सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में पुख्ता दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति/उजर दावा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। उक्त अवधि के दौरान इस भूखण्ड से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों को आमखास हितबद्ध व्यक्ति के देखने व पढ़ने के लिये कार्यालय समय में खुला रखा गया है। बाद मियाद प्रकरण का निस्तारण कर दिया जायेगा एवं कोई आपत्ति/उजर स्वीकार नहीं होगा।

आवेदन संख्या :- SGNR/FY25-26/MUT/174 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार, कार्यालय नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर (राज.)

Telefax No. 0154-2466652, Email :- SECYUIT.SGNR@RAJASTHAN.GOV.IN Off. Add:- UIT Office, Model Town, Sri Ganganagar (Raj.) 335001

क्रमांक :- नियमन/2025/4042 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक : 2.6.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री राजिन्द्र सिंह पुत्र श्री निरंजन सिंह निवासी चक 24 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर के द्वारा न्यास क्षेत्र में स्थित आवासीय भूखंड का न्यास रिकार्ड में नामान्तरण हेतु आवेदन किया गया है। उक्त भूखंड के सम्बन्ध में न्यास रिकार्ड एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज की स्थिति निम्नानुसार है :-

न्यास रिकार्ड के अनुसार भूखंड का विवरण		आवेदक के द्वारा भूखंड के नामांतरण हेतु प्रस्तुत दस्तावेजों का विवरण
भूखण्ड का विवरण	मूल भूखण्डधारी	दस्तावेज का विवरण
चक 3 ई छोटी मुरब्बा नं. 29/27 किला नं. 09 में उपविभाजित माप 15 इंटू 35 फीट भू.सं. बी-07 पार्ट शिवनगर श्रीगंगानगर	उक्त भूखंड का नियमन पट्टा सं. 19496 दिनांक 13.4.2023 को श्रीमती भागवंती पत्नी श्री बलराम के नाम से जारी किया हुआ है।	श्री राजिन्द्र सिंह द्वारा उक्त भूखंड को जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 03.12.2024 के द्वारा क्रय कर उक्त भूखंड के नामान्तरण बाबत न्यास में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया है।

इस प्रकार उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार दस्तावेजों की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर नामान्तरण चाहा गया है इस संबंध में श्री राजिन्द्र सिंह पुत्र श्री निरंजन सिंह निवासी चक 24 एमएल तहसील व जिला श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के संबंध में कोई आपत्ति है तो सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में पुख्ता दस्तावेजों सहित अपनी आपत्ति/उजर दावा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। उक्त अवधि के दौरान इस भूखण्ड से सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों को आमखास हितबद्ध व्यक्ति के देखने व पढ़ने के लिये कार्यालय समय में खुला रखा गया है। बाद मियाद प्रकरण का निस्तारण कर दिया जायेगा एवं कोई आपत्ति/उजर स्वीकार नहीं होगा।

आवेदन संख्या :- SGNR/FY25-26/MUT/224 - सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर